बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–~~157~~ 136 / 19 5789 / पटना, दिनांक–11.7.19

प्रेषक,

प्रवीण कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– श्री राम विलास पासवान, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–1990 (लघु–45) को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा का पत्रांक– 1660 दिनांक– 05.07.19

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहाना है कि प्रश्नाधीन मामला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित है।

अतः प्रासंगिक पत्र एवं प्रश्न की ऑनलाइन प्रति मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर विषयांकित प्रश्न को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तान्तरित किया जाता है।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा को भी दी जा रही है।

अनु0:– यथावत।

विश्वासभाजन

11/07/19

(प्रवीण कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 5789 / पटना, दिनांकः– 11.7.19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/19
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 5789 पटना, दिनांक– 11.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 / उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/19
सरकार के संयुक्त सचिव

e:\r.r.k-2019\prashakha-4\pramod sir.docx

श्री कौशल यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–343 (लघु–16) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री कौशल यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–343 (लघु–16)	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
(क) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के नारदीगंज–प्रखंड अन्तर्गत, ग्राम–सन्दोहरा के कला आहर में मिटट् भर गई है एवं आहर का तटबन्ध जर्जर है, जिससे सिंचाई कार्य बाधित है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हां तो क्या सरकार उक्त आहर एवं तटबंध का जीर्णोद्धार करवाने की विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उक्त स्थल का सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षणोंपरान्त उपयोगी पाये जाने पर डी0पी0आर0 तैयार कर विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा–93/19 4513 /पटना, दिनांकः– 01.7.19

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–1217 दिनांक–24.06.19 के क्रम में (पॉच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4513 /पटना, दिनांकः– 01.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप सचिव, ल0ज0स0 विभाग, पटना/विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

E:\R.R.K-2019\prashakha-4\BIDHAN SABHA 2019---2\Tarankit question 2019 june month\TA-343.docx

श्री राजेश कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2221 (त्र–79) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री राजेश कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2221 (त्र–79) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
(क) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत पंचायत महाराजगंज के बतरे नदी पर अवस्थित मटपा जमींदारीज बाँध जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त बाँध का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	नदी एवं पईन का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल औरंगाबाद द्वारा किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त स्थल पर नदी में कच्चा बांध बनाया गया है। पक्का बांध (वीयर) बनाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायगा। सर्वेक्षणोंपरान्त योजना का रूपांकण कराकर डी0पी0आर0 तैयार कराया जायगा। तत्पश्चात् निधि उपलब्धता के आधार पर निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां–173 / 19 4951 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी , प्रश्नोत्तर शाखा, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ऑनलाईन तारांकित प्रश्न संख्या–2221 (त्र–79) के आलोक में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4951 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) / उप सचिव, ल0ज0स0 विभाग, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

E:\R.R.K-2019\prashakha-4\BIDHAN SABHA 2019----2\Tarankit question 2019 june month\TA-2221.docx

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–165 / 19 4924 / पटना, दिनांक– 16.7.19

प्रेषक,

संतोष कुमार,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– श्री राम विलास पासवान, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–470 (लघु–55) को जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा का पत्रांक– 1792 दिनांक– 10.07. 2019

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न संख्या–470 (लघु–55) जल संसाधन विभाग से संबंधित है।

अतः प्रासंगिक पत्र की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है। साथ ही इसकी सूचना बिहार विधान सभा को भी दी जा रही है।

अनु0:– यथावत।

विश्वासभाजन

16/7

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 4924 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4924 पटना, दिनांक– 16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / विभागीय प्रशाखा–04, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

e:\r.r.k-2019\prashakha-4\vaibhav sir.docx

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

16.7.19

प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारां0–152/19 4928 /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

संतोष कुमार,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– श्री चन्दन कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–लघु–52(ऑनलाइन–2441) को जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा का पत्रांक– 1690 दिनांक– 08.07.19

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कार्यपाल अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्ड खगड़िया का पत्रांक–605 दिनांक–13.07.19 को छया प्रति संलग्न करते हुए कहाना है कि प्रश्नाधीन मामला जल संसाधन विभाग से संबंधित है।

अतः प्रासंगिक पत्र मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर विषयांकित प्रश्न को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया जाता है।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा को भी दी जा रही है।

अनु0:– यथावत।

विश्वासभाजन

16/7

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 4928 /पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4928 पटना, दिनांक–16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना /विभागीय प्रशाखा–04/उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

e:\r.r.k-2019\prashakha-4\pramod sir.docx

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–114 / 19 4550 / पटना, दिनांक– 04.7.19

प्रेषक,

संतोष कुमार,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– श्री सुदामा प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–974 (लघु–31) को जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा का पत्रांक– 1409 दिनांक– 27.06. 2019

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा का पत्रांक–1227 दिनांक–28.06.19 की छाया–प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न संख्या–974 (लघु–31) जल संसाधन विभाग से संबंधित है।

अतः प्रासंगिक पत्रों की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया जाता है।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा, को दी जा रही है।

अनु0:– यथावत।

विश्वासभाजन

4/7

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 4550 / पटना, दिनांकः– 04.7.19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4550 पटना, दिनांक– 04.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना /विभागीय प्रशाखा–04, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7

सरकार के अवर सचिव

e:\r.r.k-2019\prashakha-4\pramod sir.docx

श्री मोहम्मद नवाज आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–496 (लघु–54) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री मोहम्मद नवाज आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–496 (लघु–54)	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
(क) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के जमीरा एवं दौलतपुर पंचायतों में किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग नहीं है;	अस्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों में सिंचाई की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	जमीरा पंचायत अन्तर्गत चार नलकूप हैं। जिसमें एक नलकूप जमीरा–7 चालू है। जमीरा–6,जमीरा (फेज–11) एवं जमीरा(पी0एच0ई0डी0) बन्द हैं। जमीरा 6 को चालू कराने हेतु ग्राम पंचायत को राशि हस्तान्तरित कराने की कार्रवाई की जा रही है। जमीरा(पी0एच0ई0डी0) का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। यांत्रिक दोष से बन्द जमीरा(फेज–11) का यांत्रिक दोष दूर कर शीघ्र कार्यरत कर दिया जायेगा। दौलतपुर पंचायत में तीन नलकूप है जो बन्द है। इनमें दो नलकूप दौलतपुर एवं मथवलिया चालू कराने हेतु राशि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष एक नलकूप बलुआ असफल है जिसके पुनर्छिद्रण एवं जीर्णोद्धार हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। जमीरा(पी0एच0ई0डी0) तथा बलुआ नलकूप को नलकूप के लिए राशि ग्राम पंचायतों को देकर जीर्णोद्धार कार्य करा दिया जायगा।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां–153 / 19 5956 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–1692 दिनांक–08.07.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 5956 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) / उप सचिव, ल0ज0स0 विभाग, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

श्री नन्द कुमार राय, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0—2442 (लघु—53)

श्री नन्द कुमार राय, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0—2442 (लघु—53) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः—
1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत लघु सिंचाई अनुमंडल कार्यालय, मोतीपुर के कैम्पस में बखरा नलकूप अवस्थित है, जो एक माह पूर्व चालू था, किन्तु उक्त नलकूप पर जी0पी0एस0 सिस्टम लगाने हेतु सरकार द्वारा चयन किया गया था, तथा सिस्टम लगाने के क्रम में मोटर जल गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि भी खरीफ फसल के समय में मोटर के जलने से सैकड़ों किसान खेती से वंचित हो गये है, साथ ही शिकायत के पश्चात भी अभी तक नलकूप चालू नही किया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा इसकी मरम्मति की कार्रवाई की जा रही है।
2. यदि उपर्युक्त खंड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लापरबाह अधिकारियों पर कार्यवाई करते हुए उक्त नलकूप को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन नलकूप चालू अवस्था में संचालन एवं मरम्मति हेतु ग्राम पंचायत को माह फरवरी—19 में हस्तान्तरित कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसकी मरम्मति कराकर चालू करने के लिए विभागीय अभियंताओं द्वारा मोटर को बोरिंग से निकलवा कर मरम्मति हेतु वर्क—शॉप में भेजा जा रहा है। मोटर जलने के लिए कौन जिम्मेवार हैं, की जॉच करायी जायेगी तथा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की जायेगी ।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः—प्र0—4/ल0ज0सं0/वि0स0/तारां0—150/19 4958 /पटना, दिनांकः— 16.7.19

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक—1691 दिनांक—08.07.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः— 4958 /पटना, दिनांकः— 16.7.19

प्रतिलिपिः—संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/विभागीय प्रशाखा—4 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

D:\Assembley-\20-06-19\Bidhan Sabha-ta-20-06-19-\Ratnesh ji\ta-2442.docx

श्री अनिल सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–त्र–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री अनिल सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–त्र–09	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(क) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ प्रखंड के तिलैया नदी से सिंघौली कैथीर पईन की खुदाई वर्ष 2016–17 में करायी गयी थी जिसमें मानक के अनुरूप काम नहीं कराकर पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया ;	अस्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त अनियमितता की जांच कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ प्रखंड के तिलैया नदी से सिंघौली–कैथीर पईन की खुदाई गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दिये गए दिशा निर्देश के अनुसार करवाया गया है। उक्त योजना से 298 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। फिर भी माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुए मुख्यालय स्तर से जो अभियंता इस कार्य से संबंधित नहीं है, से जाँच करायी जायगी। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां–133 / 19 4951 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–1167 दिनांक–21.06.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4951 / पटना, दिनांकः–16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) / उप सचिव, ल0ज0स0 विभाग, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

E:\R.R.K-2019\prashakha-4\BIDHAN SABHA 2019----2\Tarankit question 2019 june month\TA-TRA-9.docx

श्रीमती भागीरथी देवी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–722 (लघु 25) का उत्तरः–

श्रीमती भागीरथी देवी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–722 (लघु 25) का उत्तरः–	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला के गौनाहा प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत बाजड़ा अन्तर्गत पटनी बाँध की मरम्मती एवं उसमें डैटेम वाल निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सरकार को, पत्रांक–306, दिनांक–27 अक्टूबर 2014, पत्रांक–571, दिनांक–16 दिसम्बर, 2015, एवं पत्रांक–749, दिनांक–09 अप्रैल, 2016 को पत्र लिखा गया था, किन्तु डैटेम वाल का निर्माण व बाँध की मरम्मती की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। योजना के संबंध में प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं है।
2. यदि हाँ तो उक्त बाँध की मरम्मती एवं नये डैटेम वाल नहीं बनाने का क्या औचित्य है ?	स्थल का सर्वेक्षण कार्य कराया जाएगा। सर्वेक्षणोपरांत योजना तकनीकी दृष्टिकोण से उपयोगी पाये जाने पर डी०पी०आर० बनवाकर विहित प्रक्रिया के तहत निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः–प्र०–4/ल०ज०सं०/वि०स०/तारां०–109/19 /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1310 दिनांक–26.06.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4944 /पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः–संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/विभागीय प्रशाखा–4 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

D:\Assembley-\20-06-19\Bidhan Sabha-ta-20-06-19-\Ratnesh ji\Q-722.docx

श्रीमती समता देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2289 (लघु–51) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्रीमती समता देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2289 (लघु–51)	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(क) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड बाराचट्टी पंचायत बुमेर ग्राम सेवई टोला जहज्वा में इमलिया आहर तथा प्रखंड मोहनपुर ग्राम बुमुआर में नायका आहर जर्जर है, जिससे किसानों को सिंचाई में असुविधा हो रही है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त आहर का जीर्णोद्धार कराने को विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन योजनाओं का सर्वेक्षण कराया जायेगा। सर्वेक्षणोपरांत योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारां–151/19 5959 /पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–1689 दिनांक–08.07.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 5959 /पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप सचिव, ल0ज0सं0 विभाग, पटना/विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

श्री डॉ0 सी0एन0गुप्ता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2930 (लघु–60) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री डॉ0 सी0एन0गुप्ता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2930 (लघु–60)	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज प्रखण्ड के टेकनिवास पंचायत के गोदाना ग्राम में राजकीय नलकूप नहीं है; जिसके कारण किसानों को पटवन में कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि हां तो सरकार कब तक उक्त गाँव में राजकीय नलकूप लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में नया राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है। अभी राज्य में बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना चल रही है। इसके तहत् वैसे किसान जिनके पास न्यूनतम कृषि योग्य 40 डिसमील भूमि हो अनुदान आधारित निजी नलकूप लगवा सकते हैं। किसान विभागीय वेबसाईट www.minorirrigation.bihar.gov.in पर online आवेदन कर सकते हैं ।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः–प्र0–4 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–176 / 19 4953 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1826 दिनांक–11.07.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4953 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः–संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) / उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग / विभागीय प्रशाखा–4 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

D:\Assembley-\20-06-19\Bidhan Sabha-ta-20-06-19-\Ratnesh ji\ta-2930.docx

बिहार सरकार
<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0 –140 / 19 4923 / पटना, दिनांक– 16.7.19

प्रेषक,

संतोष कुमार,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– श्री प्रभुनाथ प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–1645 (लघु–40) जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा का पत्रांक– 1659 दिनांक– 05.07.19

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न संख्या–1645 (लघु–40) जल संसाधन विभाग से संबंधित है।

अतः प्रासंगिक पत्र की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है। साथ ही इसकी सूचना बिहार विधान सभा को भी दी जा रही है।

अनु0:– यथावत्।

विश्वासभाजन

16/7

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 4923 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4923 पटना, दिनांक– 16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना /विभागीय प्रशाखा–04, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

e:\r.r.k-2019\prashakha-4\pramod sir.docx

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–184 / 19 4939 / पटना, दिनांक– 16.7.19

प्रेषक,

संतोष कुमार,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– श्री आलोक कुमार मेहता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–1209 को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक– 432492 दिनांक– 12.07.19

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पत्रांक–2038 दिनांक–26.06.18 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रश्नाधीन मामला संप्रति आपके विभाग से संबंधित है।

अतः प्रासंगिक पत्र जो ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त है को मूल में संलग्न कर विषयांकित प्रश्न को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया जाता है।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा को भी दी जा रही है।

अनु0:– यथावत।

विश्वासभाजन

16/7

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 4939 / पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4939 पटना, दिनांक– 16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 / उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

e:\r.r.k-2019\prashakha-4\pramod sir.docx

श्री सूबेदार दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2927(लघु–59) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री सूबेदार दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2927(लघु–59) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
(क) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड स्थित पंचायत सुगांव के धीरा बिगहा भाया बजरंगबली मंदिर होते हुए सुगांव पाईन की उड़ाही विगत 15 वर्षों से नहीं होने के कारण स्थानीय कृषकों को सिंचाई में कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हां तो सरकार कबतक उक्त पाईन की उराही के साथ पक्कीकरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा। सर्वेक्षणोंपरान्त योजना का डी0पी0आर0 तैयार कर निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत जीर्णोंद्धार हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां–175 / 19 4957 /पटना, दिनांकः–16.7.19

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–1825 दिनांक–11.07.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4957 /पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप सचिव, ल0ज0सं0 विभाग, पटना/विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

E:\R.R.K-2019\prashakha-4\BIDHAN SABHA 2019----2\Tarankit question 2019 june month\TA-2927.docx

श्री अवधेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–483 (लघु–24) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री अवधेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–483 (लघु–24) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
(क) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के महुएत ग्राम स्थित आहर का जीर्णोद्धार एवं टाल की सफाई नहीं होने से आम जनता को सिंचाई में कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
(ख) क्या यह बात सही है कि ग्राम महुएत में सिवना नदी के पास एवं कोलधान के पास दो चहका निर्माण हेतु प्लाट संख्या–1348–1333–385–388–389 भूमि उपलब्ध है,	स्वीकारात्मक।
(ग) यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त आहर का जीर्णोद्धार टाल की सफाई एवं चहका निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	योजना का सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। सर्वेक्षणोपरान्त योजना तकनिकी दृष्टिकोण से सम्भाव्य पाये जाने पर डी0पी0आर0 तैयार कर विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तांरा–102 / 19 4503 / पटना, दिनांकः– 03.7.19

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–1257 दिनांक–25.06.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 3/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4503 / पटना, दिनांकः– 03.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) / उप सचिव, ल0ज0स0 विभाग, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 3/7

सरकार के अवर सचिव

E:\R.R.K-2019\prashakha-4\BIDHAN SABHA 2019----2\Tarankit question 2019 june month\TA-483.docx

श्रीमती अरूणा देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2231(लघु–48) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्रीमती अरूणा देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–2231(लघु–48) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
(क) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत मय गाँव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि उक्त गाँव में आहर, पोखर, पईन इत्यादि उपलब्ध है लेकिन मिट्टी से भरा हुआ है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ तो सरकार उक्त गाँव में स्थित जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	मय गाँव के आहर, पोखर, पईन का सर्वेक्षण किया जायेगा। सवेक्षणोपरांत योजना उपयोगी पाये जाने पर डी0पी0आर0 तैयार कर विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तांरा–138/19 5955 /पटना, दिनांकः– 16.7.19

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–1663 दिनांक–05.07.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 5955 /पटना, दिनांकः–16.7.19

प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप सचिव, ल0ज0स0 विभाग, पटना/विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्र0—04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां—144 / 19 4755 / पटना, दिनांक—10.7.19

प्रेषक,

प्रवीण कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— श्री मुंद्रिका प्रसाद राय, मा0स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या—2220 का हस्तान्तरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री मुंद्रिका प्रसाद राय, मा0स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या—2220 का ऑनलाइन प्रति बिहार विधान सभा से प्राप्त हुआ है। प्रश्नाधीन योजना का संबंध जल संसाधन विभाग से है।

अतः कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल छपरा के पत्रांक—1287 दिनांक—04.07.19 की छायाप्रति तथा तारांकित प्रश्न संख्या—2220 की ऑनलाइन प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित की जाती हैं।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/07/19
(प्रवीण कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः— 4755 पटना, दिनांकः— 10.7.19

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधान सभा सचिवालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/19
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 4755 पटना, दिनांकः—10.7.19

प्रतिलिपिः—संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / विभागीय प्रशाखा—04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/19
सरकार के संयुक्त सचिव

d:\pk-\assembley - 23-11-2018\prasakha-04---23-11-18\ytnesh jee\vi s- tara--82-17.docx

श्री अमीत कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0—1818 (लघु—46) का उत्तरः—

श्री अमीत कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0—1818 (लघु—46) का उत्तरः—	श्री नरेन्द्र नारायण यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः—
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः—	
1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखण्ड के बुलाकीपुर पंचायत के तहत् सोनार में नलकूपों के बंद रहने के कारण किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त नलकूपों को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन नलकूप को संचालन एवं मरम्मती हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया गया हैं। इस नलकूप के जीर्णोद्धार हेतु राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा नलकूप की मरम्मती का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मरम्मती के पश्चात् यह नलकूप चालू हो जायगा।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः—प्र0—4 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0—142 / 19 4952 / पटना, दिनांकः— 16.7.19

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक—1661 दिनांक—05.07.19 के क्रम में (पांच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः— 4952 / पटना, दिनांकः— 16.7.19

प्रतिलिपिः—संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) / उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग / विभागीय प्रशाखा—4 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7

सरकार के अवर सचिव

D:\Assembley-\20-06-19\Bidhan Sabha-ta-20-06-19-\Ratnesh Ji\ta-818.docx